उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 1975

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 55, 1975}

THE UTTAR PRADESH PARKS, PLAYGROUNDS AND OPEN SPACES (PRESERVATION AND REGULATION) ACT, 1975

[U.P. Act No. 55 of 1975]

उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 1975

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 55, 1975}

{जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ}

उत्तर प्रदेश में पार्क, खेल के मैदान और खुली जगह के संरक्षण और विनियमन का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1–– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 1975 कहा जायगा।

(2) यह उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन प्रत्येक नगर महापालिका में और यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन प्रत्येक म्युनिसिपैलिटीज या नोटीफाइड एरिया में और संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के अधीन प्रत्येक टाउन एरिया में सम्मिलित प्रत्येक क्षेत्रों में और ऐसे अन्य क्षेत्रों में जिनको राज्य सरकार समय–समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, लागू होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार गजट में, अधिसूचना द्वारा नियत करे और विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते है।

परिभाषाएं

2–– इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) ''खुली जगह'' का तात्पर्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी भूमि से (चाहे घिरी हुई हो या न हो) है जिस पर कोई इमारत नहीं है या जिसके बीसवें भाग से अधिक पर कोई भवन नहीं है और जिसका सम्पूर्ण या शेष भाग मनोरंजन, वायु या प्रकाश के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जाता है;

(ख) ''पार्क'' का तात्पर्य उस भू–खंड से है, जिस पर कोई इमारत नहीं है या जिस के बीसवें भाग से अधिक पर कोई इमारत न हो और जिसके सम्पूर्ण या शेष भाग का विन्यास वृक्ष, पौधे, फूलों की क्यारी सहित उद्यान के रूप में या लॉन के रूप में या घास के मैदान के रूप में किया गया हो और जिसका अनुरक्षण मनोरंजन, वायु या प्रकाश के लिए सार्वजनिक समागम–स्थान के रूप में किया जाता हो ;

(ग) ''खेल का मैदान'' का तात्पर्य उस भू–खंड से है जिसका अनुकूलन खेल, खेल–कूद या क्रीड़ा के प्रयोजनार्थ और उपयोग किसी शिक्षण संस्था या क्लब या अन्य समुदाय द्वारा किया जाता है ;

(घ) ''विहित'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है।

पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों की सूचियों को तैयार और प्रस्तुत करना

3–– (1) किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् ऐसे क्षेत्र के सभी पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों की सूची, रेखाचित्र और मानचित्र सहित, ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो विहित की जाय, तैयार तथा प्रकाशित की जायगी।

(2) कोई हितबद्ध व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन सूची के प्रकाशन के दिनांक से तीन मास के भीतर ऐसी सूची से सम्बद्ध या उसमें अंकित किसी बात के बारे में अपनी आपत्तियों और सुझावों को विहित प्राधिकारी के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

(3) विहित प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् और ऐसी अग्रेतर जांच, यदि कोई हो, जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात् सूची का अनुमोदन परिष्कार सहित या रहित कर सकता है।

(4) उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित सूची ऐसे प्रपत्र में और ऐसे विवरण सहित होगी और ऐसी रीति में प्रकाशित की जायगी, जैसी विहित की जाय।

(5) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन प्रकाशित किसी सूची में निर्दिष्ट या उसका अंगीभूत कोई रेखा चित्र, मानचित्र या दस्तावेज जनता के निरीक्षण के लिए ऐसे स्थान और समय पर जो विहित किया जाय, उपलब्ध होगा।

सरकार द्वारा सूची का पुनरीक्षण

4–– (1) कोई व्यक्ति जिसे विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची के प्रति कोई आपत्ति हो, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाय, राज्य सरकार को लिखित अभ्यावेदन कर सकता है।

(2) ऐसे अभ्यावेदन पर राज्य सरकार विहित प्राधिकारी से मामले का अभिलेख मंगा और सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और यदि आवश्यक हुआ तो ऐसी अग्रेतर जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, सूची का पुनरीक्षण कर सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन यथा पुनरीक्षित सूची को गजट में और ऐसी अन्य रीति से जो विहित की जाय, प्रकाशित किया जायगा।

सूची का परिवर्तन या विखंडन

5–– (1) राज्य सरकार किसी समय या तो स्वतः या स्थानीय प्राधिकारी या किसी हितबद्ध व्यक्ति के अनुरोध पर धारा 3 के अधीन अनुमोदित या धारा 4 के अधीन पुनरीक्षित सूची को परिवर्द्धित, परिवर्तित या विखंडित कर सकता है।

(2) ऐसा कोई परिवर्द्धन, परिवर्तन या विखंडन करने के पहले राज्य सरकार विहित रीति से ऐसे परिवर्द्धन, परिवर्तन या विखंडन के प्रारूप को एक नोटिस के साथ, जिसमें वह दिनांक विनिर्दिष्ट होगा, जिसको या जिसके पश्चात् उस प्रारूप पर विचार किया जायगा, प्रकाशित करेगी और ऐसी आपत्तियों और सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उस प्रारूप के संबंध में प्राप्त हो जायें, विचार करेगी।

कुछ मामलों में पार्क, खेल के मैदान और खुली जगहों के उपयोग का प्रतिषेध

6–– कोई पार्क, खेल का मैदान या खुली जगह जो, यथास्थिति, धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रकाशित सूची में विनिर्दिष्ट हो, विहित प्राधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना, जिस प्रयोजन के लिए उसका उपयोग इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पहले किया जा रहा था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जायगी।

पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों का अनुरक्षण

7–– स्थानीय प्राधिकारी उन पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों का जो उसकी हों या उसमें निहित हों और धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित हों, स्वच्छ और उचित दशा में अनुरक्षण करेगा।

इमारतों आदि के निर्माण का प्रतिषेध

8–– कोई व्यक्ति विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना, कोई इमारत नहीं बनायेगा या कोई संरचना नहीं करेगा, जिससे धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रकाशित सूची में विनिर्दिष्ट पार्क खेल के मैदान या खुली जगह की उपयोगिता के प्रभावित होने की संभावना हो।

पार्क, खेल के मैदान आदि के स्वामी का आभार

9–– (1) किसी पार्क या खेल के मैदान की स्थिति में जो किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित न हो किन्तु धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित हो, विहित प्राधिकारी नोटिस द्वारा ऐसे पार्क या खेल के मैदान के स्वामी या अध्यासी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह–

(एक) ऐसे पार्क या खेल के मैदान का स्वच्छ और उचित दशा में अनुरक्षण करे; या

(दो) किसी ऐसे पार्क या खेल के मैदान में या पर प्रक्षेप, अधिक्रमण अवरोध को निराकृत या परिवर्तित करे या नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक के भीतर ऐसे पार्क या खेल के मैदान में किसी इमारत में ऐसी मरम्मत करे जो विहित प्राधिकारी आवश्यक समझे।

(2) यदि स्वामी या अध्यासी उपधारा (1) के अधीन नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहे तो विहित प्राधिकारी स्वयं ऐसे अभिकरण द्वारा जो वह उचित समझे, इस बात की व्यवस्था कर सकता है, अर्थात् :–

(एक) ऐसे पार्क या खेल के मैदान का स्वच्छ और उचित दशा में अनुरक्षण ;

(दो) प्रक्षेप, अधिक्रमण या अवरोध का निराकरण या परिवर्तन ;

(तीन) ऐसी मरम्मत करना जो वह आवश्यक समझे, और ऐसे अनुरक्षण, निराकरण, परिवर्तन या मरम्मत का व्यय ऐसे स्वामी या अध्यासी से ऐसी रीति में जो विहित की जाय, वसूल किया जायगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन वसूली योग्य व्यय की धनराशि के बारे में किसी विवाद का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(4) विहित प्राधिकारी उपधारा (2) में जैसा इंगित है, वैसी कार्यवाही करने के बजाय या अलावा भूमि का अर्जन पार्क या खेल के मैदान के रूप में भूमि के प्रभावकारी प्रबन्ध के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन करा सकता है।

(5) किसी खेल के मैदान का स्वामी या अध्यासी, जो खेल के मैदान का उपयोग खेल के मैदान से भिन्न किसी रूप में परिवर्तित करने का इच्छुक हो, राज्य सरकार को खेल के मैदान में अपने अधिकार, हक और हित को क्रय करने के लिये नोटिस दे सकता है और यदि राज्य सरकार ऐसे नोटिस पाने के दिनांक से छः मास के भीतर ऐसे अधिकार, हक और हित को क्रय करने के लिए अपनी तैयारी और रजामन्दी को संज्ञापित नहीं करता है तो वह ऐसे खेल के मैदान को ऐसे उपयोग में ला सकता है, जैसा वह चाहे।

वार्षिक विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना

10–– (1) विहित प्राधिकारी धारा 3 या धारा 4 के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों के संबंध में एक वार्षिक विवरणी ऐसे प्रपत्र में और ऐसे ब्योरों, सहित, जो विहित किये जायें, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरणी के साथ उन पार्कों और खेल के मैदानों का, जिनके संबंध में धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही की गई थी, एक सूची भी होगी और उसके साथ–साथ उनके संबंध में की गई कार्यवाही के प्रकार और उनके उचित अनुरक्षण के बारे में उठाये गये कदम के संबंध में व्योरे होंगे।

अप्राधिकृत व्यक्तियों को हटाना

11–– यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के या उसमें निहित किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह में, राज्य सरकार द्वारा या, यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किसी निदेश का उल्लंघन करके प्रवेश करता है या रहता है तो उसे, किसी अन्य कार्यवाही पर, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरूद्ध की जा सकती है, कोई पुलिस अधिकारी या, यथास्थिति, राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी की ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति जो इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो, ऐसे पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह से हटा सकता है।

शास्ति

12–– जो कोई धारा 4 या धारा 5 के अधीन प्रकाशित सूची में विनिर्दिष्ट किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह में कोई कूड़ा फेंकता है या जंगल या बाड़ का अतिक्रमण करता है या उसमें फल, फूल, पौधे, घास या किसी भी अन्य वस्तु को चुराता है या क्षति पहुंचाता है या उसमें कोई अप्रदूषण करता है, उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का जो एक मास तक हो सकता है या जुर्माने का या दोनों का दण्ड दिया जायगा।

पार्क आदि का अन्तरिम संरक्षण

13–– इस अधिनियम के अधीन पार्कों, खेल के मैदान और खुली जगहों की सूची तैयार और प्रकाशित होने तक (जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरी कर दी जायगी) किसी भूमि का, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के ठीक पूर्व खुली जगह हो या जिसका उपयोग पार्क या खेल के मैदान के रूप में किया जाता हो, ऐसे पार्क या खेल के मैदान के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकरी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना न तो उपयोग किया जायगा और न बरता जायगा।

नियम बनाने की शक्ति

14–– (1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकता है –

(क) पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों में व्यक्तियों के प्रवेश, और उनमें और उनके आस–पास व्यक्तियों के आचरण का नियंत्रण या विनियमन ;

(ख) किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह में पशुओं या किसी वर्ग के पशुओं के प्रवेश का निर्बन्धन या प्रतिषेध ;

(ग) किसी पार्क, खेल के मैदान या खुली जगह से किसी ऐसे व्यक्ति को हटाना जो उसमें इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी प्राधिकारी के किसी आदेश या निदेश का उल्लंघन करते हों ;

(घ) समय जिसके भीतर धारा 10 के अधीन वार्षिक विवरणी राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी ;

(ङ) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; और

(च) इस अधिनियम द्वारा स्पष्टतः अपेक्षित या अनुमत सभी विषय जिन्हें विहित किया जाना हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जबकि उसका सत्र हो रहा हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।